# देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,इन्दौर
## दूरभाष संख्या– 2527532

विज्ञापन संख्याः:स्थापना/2021/1784 दिनांक 09 DEC 2021

//परामर्शी पद हेतु नियुक्ति//

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर में स्व–वित्त प्रकोष्ठ में एक परामर्शी पद हेतु पूर्णतः अस्थायी रूप से म.प्र. वित्त सेवा के सेवानिवृत्त प्रथम/द्वितीय श्रेणी अधिकारियों से आवेदन बंद लिफाफे में सेलोटेप चिपकाकर लिफाफे के ऊपर परामर्शी पद हेतु अंकित कर निर्धारित दिनांक **22.12.2021** सांय 5.00 बजे तक कार्यालयीन समय में सहायक कुलसचिव (स्थापना) कार्यालय में आमंत्रित किये जाते है। जिन आवेदको के आवेदन विश्वविद्यालय में प्राप्त हो चुके है उन्हें पुनः आवेदन प्रस्तुत नहीं करना होगा। अनुभव संबंधी सेवा शर्ते एवं अन्य जानकारी सुलभ संदर्भ हेतु देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर की वेबसाइट www.dauniv.ac.in पर उपलब्ध है।

कुलसचिव

# देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,इन्दौर

दूरभाष संख्या– 2527532

विज्ञापन संख्या::स्थापना/2021/1784 दिनांक– 09 DEC 2021

//परामर्शी पद हेतु नियुक्ति //

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर में स्व–वित्त प्रकोष्ठ में एक परामर्शी पद हेतु पूर्णतः अस्थायी रूप से म.प्र. वित्त सेवा के सेवानिवृत्त प्रथम/द्वितीय श्रेणी अधिकारियों से आवेदन बंद लिफाफे में सेलोटेप चिपकाकर लिफाफे के ऊपर परामर्शी पद हेतु अंकित कर निर्धारित दिनांक **22.12.2021** सांय 5.00 बजे तक कार्यालयीन समय में सहायक कुलसचिव (स्थापना) कार्यालय में आमंत्रित किये जाते है। जिन आवेदको के आवेदन विश्वविद्यालय में प्राप्त हो चुके है उन्हें पुनः आवेदन प्रस्तुत नहीं करना होगा। अनुभव संबंधी सेवा शर्ते एवं अन्य जानकारी सुलभ संदर्भ हेतु देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर की वेबसाइट www.dauniv.ac.in पर उपलब्ध है।

परामर्शी हेतु निम्नानुसार मार्गदर्शी सिद्धान्त रहेंगे :–

2.अर्हता–1.परामर्शी की नियुक्ति–

विशिष्ट प्रवृत्ति के ऐसे कार्य/सेवायें जिनके लिये विभाग में पद स्वीकृत नहीं है तथा कार्य/सेवायें निरन्तर स्वरूप की नहीं है, के लिये परामर्शी की नियुक्ति की जा सकती है। परामर्शी के नियोजन के पूर्व कार्य/सेवाओं के स्वरूप, परिणाम (deliver ables) एवं समयावधि की सुस्पष्टता का निर्धारण किया जाना आवश्यक है। परामर्शी का आशय किसी व्यक्ति से रहेगा।

संबंधित कार्य के लिए आवश्यक व्यावसायिक योग्यताधारी एवं अनुभवी व्यक्ति।

3.अवधि–

(i) यह पूर्णतः अस्थायी एवं गैरसरकारी स्वरूप की नियुक्ति होगी जिसे नियोजक द्वारा किसी भी
समय बिना कोई कारण बताए समाप्त किया जा सकेगा।

(ii) कार्य के स्वरूप एवं आवश्यकता क आधार पर प्रारम्भिक नियोजन की अवधि का निर्धारण
प्रकरणवार किया जा सकेगा, परन्तु नियोजन की न्यूनतम अवधि एक दिवस से अधिक तथा
अधिकतम अवधि दो वर्ष होगी।

(iii) दो वर्ष के पश्चात् परामर्शी की नियुक्ति के लिये कार्य–परिषद् की सहमति आवश्यक होगी।

4.परामर्शी की श्रेणी एवं मानदेय–

(i) कार्य के स्वरूप, विशिष्टता एवं जटिलता के आधार पर परामर्शी को क्रमशः श्रेणी–I, श्रेणी–II एवं– III में वर्गीकृत किया जाए।

(ii) मानदेय निर्धारित किये गये कार्य की पूर्णता प्रतिशत पर आधारित (नीचे तालिका अनुसार)
किया जाना होगा।

| कार्य पूर्णता का प्रतिशत | भुगतान योग्य राशि (कुल भुगतान योग्य राशि से प्रतिशत के रूप में ) |
|---|---|
| 5% | 5% |
| 25% | 25% |
| 50% | 50% |
| 75% | 75% |
| 100% | 100% |

...2..

अगर किसी परामर्शी को मासिक दर पर रखा जाता है तब पूर्णता प्रतिशत पर आधारित शर्त लागू नहीं होगी।

(iii) परामर्शी व्यक्ति मानदेय की अधिकतम दरें निम्नानुसार रहेंगी (एक वर्ष से कम की अवधि के लिये अधिकतम दरें अनुपातिक आधार पर निर्धारत की जा सकेंगी। अनुपातिक गणना के लिये एक माह 25 कार्य दिवस माना जा सकेगा)।

| श्रेणी | प्रतिवर्ष दर |
|---|---|
| श्रेणी–I | रू.9.00 लाख |
| श्रेणी–II | रू.7.50 लाख |
| श्रेणी–III | रू.3.75 लाख |

उपर्युक्त निर्धारत मानदेय के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्तें आदि देय नहीं ।

समिति आवेदक के योग्यता एवं अनुभव के आधार पर मानदेय की दरें निर्धारित करेगी।

दूरभाष अथवा वाहन आदि की सुविधा भी पृथक से देय नहीं होगी। प्रशासकीय विभाग द्वारा परामर्शी सेवाओं पर प्रतिवर्ष रू.15 लाख से अधिक व्यय नहीं किया जा सकेगा।

(iii) सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के लिए ऊपर वर्णित दरें ही प्रभावी रहेंगी एवं पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति सुविधायें उन्हें पूर्वानुसार प्राप्त होती रहेंगी।

**5.नियुक्ति की प्रकिया–**

(i) परामर्शी की नियुक्ति के लिये तैयार किए गए प्रस्ताव में कार्य के स्वरूप,शर्तें अवधि अत्यादि का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए।

(ii) परामर्शी की नियुक्ति के लिये पारदर्शी प्रकिया अपनाई जाएगी जिसमें विज्ञापन का प्रकाशन किया जाना अधिमान्य होगा।

6/ यह परिपत्र विभाग के द्वारा गठित क्रय/विशेषज्ञ समिति के सदस्यों के लिये लागू नहीं होगा।

7/ परामर्शियों को मानदेय का भुगतान उददेश्य शीर्ष केन्द्रीय मूल्याकंन केन्द्र एवं पुर्नमूल्यांकन प्रकोष्ठ(ब) अन्य (17), केन्द्रीय मूल्याकंन केन्द्र/ओ.एस.डी का पारिश्रमिक मद में प्रावधनित बजट के विरूद्ध विकलनीय होगा ।

8/ उपर्युक्त निर्धारित शर्तो के अतिरिक्त विभाग यदि कार्य विशेष के आधार पर कोई विशिष्ट शर्त सम्मिलित/विलोपित करना चाहता है तो कार्य–परिषद से पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य–परिषद द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन का कोई प्रकरण मान्य नहीं किया जाएगा।

9/यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा। इस आदेश के जारी होने के पूर्व तत्समय जारी निर्देशों के अनुसार नियुक्त किये गये परामर्शियों की सेवायें/संविदा की शर्ते पूर्व निर्देशों में वर्णित प्रावधानों के अधीन संविदा अवधि समाप्त होने तक लागू रहेंगी।

कुलसचिव